# बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड

(बिहार सरकार का एक प्रतिष्ठान)

## वरीय परियोजना अभियंता का कार्यालय

कार्य प्रमण्डल, आरा।

website-**http://www.brpnn.bih.nic.in** Email Id-spe-ara@brpnn.co.in,

| Doc.No:-BRPNN/ARA/......../ 950 (अनु०) | Dt- 18.08.2025 | Page....../....... |
|---|---|---|

सेवा में

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
सह नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण)
तृतीय तल, अरण्य भवन
शहीद पीर अली खॉं मार्ग, पटना–14

**विषयः– कैमूर जिलान्तर्गत मॉ मुण्डेश्वरी पर्वत पर आकाशीय रज्जू पथ निर्माण हेतु वन भूमि कुल रकवा 6.46 एकड़ का अपयोजन स्वीकृति Stage-II (अंतिम स्वीकृति) प्रदान करने के संबंध में।**

प्रसंग :– 1) इस कार्यालय का पत्रांक–524(अनु॰) दिनांक–16.05.2025
2) भवदीय कार्यालय का पत्रांक–657 पटना दिनांक–10.09.2024
3) भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय रॉंची का पत्रांक–FB/BR/Others/42268/2019/531 दिनांक–30.08.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध मे कहना है कि प्रासंगिक पत्र (3) (छाया प्रति संलग्न) द्वारा भारत सरकार ने विषयाधीन परियोजना के निर्माण हेतु 1.3094 हेक्टेयर (6.46 एकड़) वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति (Stage-I) प्रदान की गई है। प्रदत सैद्धांतिक स्वीकृति पत्र के भाग A के शर्त–1 के क्रम में भवदीय के कार्यालय प्रासंगिक पत्र (2) के द्वारा CA एवं NPV मद में कुल रशि रू॰ 1,07,65,500.00 CAMPA BIHAR, Account में जमा कराने का अनुरोध किया गया। उक्त के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय द्वारा मॉंग की गई कुल राशि रू॰ 1,07,65,500.00 (रूपये एक करोड़ सात लाख पैसठ हजार पॉंच सौ) BIHAR CAMPA, IFSC Code UBIN0996335, A/C no-1506219942268446, Bank Name- Union Bank of India, FCS, Centre, Banglore, 21/1 3rd Floor, Jelitta Tower, Mission Road, Bangalore 560027 में RTGS के माध्यम से दिनांक–01.10.2024 को जमा करा दिया गया है, जिसका UTR No-NRTGS/PUNBR52024100113173658/BIHAR CAMPA है। इसकी सूचना इस कार्यालय के पत्रांक–853(अनु॰) दिनांक–03.10.2024 द्वारा दी जा चुकी है (छाया प्रति संलग्न। इसकी विवरणी परिवेश पोर्टल पर अपलोड करा दिया गया है।

प्रासंगिक पत्र (3) के भाग A में सन्निहित 1–9 शर्तें का अनुपालन प्रतिवेदन तथा भाग B में सन्निहित 1–17 शर्तो का undertaking declaration इस पत्र के साथ संलग्न किया जाता है तथा इसे परिवेश पोर्टल पर अपलोड करा दिया गया है।

इस कार्यालय के पत्रांक–524(अनु॰) दिनांक–16.05.2025 द्वारा अंतिम स्वीकृत Stage-II हेतु अनुरोध किया गया था।

अतः अनुरोध है कि विषयांकित परियोजना का कार्य प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति पत्र प्रदान करने की कार्रवाई किया जाए।

**अनु0:–यथोक्त।**

विश्वासभाजन
(हस्ताक्षर) 18/8/25
वरीय परियोजना अभियंता
बि.रा.पु.नि.नि.लि.
कार्य प्रमंडल, आरा।

# Declaration to undertake compliance of conditions A & B

| A: Conditions which need to be complied prior to handling over of forest land by the State Forest Department | Compliance |
|---|---|
| (1) The cost of compensatory afforestation on the CA land (2.6 ha JJ) at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme (including the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars etc. as required for securing the land against encroachment) shall be deposited in advance with the State Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years. | In reference to CAMPA letter No. 657 dtd.10.09.2024, a total Amount of Rs **1,07,65,500.00** in CA & NPA has been transferred in a/c NO-1506219942268446, IFC Code – UBIN0996335, Bank Name- Union Bank of India FCS Centre, 21/III Floor, Jelitta Tower, Mission Road, Bengaluru-560027 through RTGS. Reference: UTR No.- NRTGS/PUNBR52024100113173658/Bihar CAMPA DTD. 01.10.2024.TheCompliance information has been submitted by this office letter no. 853(we) dtd.03.10.2024 |
| (2) The non-forest land proposed for CA shall be transferred and mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to Stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be, will be submitted by the State Government prior to formal (Stage-II) approval. | The land proposed for CA has been transferred and mutated to the Forest Department vide memo no.- 06/खा0म0 कैमूर–23/2022–81 (6)/रा0, पटना–15, दिनांक–15.01.2025, जमाबंदी संख्या–200145500045463, पृष्ठ संख्या–93 (प्रति संलग्न)। |
| (3) The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 1.3094 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt. II) dated 18/09/2003, as well as letter No.-5-2/2006-FC dated 03/10/2006, 5-3/2007 FC dated 05/02/2009 and letter No.5-3/2011-FC(Vol-I) dated 06/01/2022 in this regard. | CA & Net Present Value (NPV) for 1.3094 hec. forest area has been paid, Reference: UTR No.- NRTGS/PUNBR52024100113173658/Bihar CAMPA DTD. 01.10.2024. |
| (4) All the funds received from the user agency the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/). | Yes, done as per reference. |
| (5) The KML file of the area to be diverted and the CA area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details and submitting compliance report for seeking Stage-II approval. | Shall be done by concerned department. |

| | |
|---|---|
| (6) The FRA certificate as per Ministry's guidelines shall be submitted before the issuance of final approval. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector on the basis of gram-sabha held for the purpose. | This has been resolved by DFO Kaimur vide his letter no. 2193 Bhabhua, dated- 10/07/2024 (Copy attached) |
| (7) A Muck-Disposal Plan should be prepared by User Agency to ensure that the muck/wastage generated should be disposed of in proper manner. Such plan, duly approved by the concerned DFO, should be submitted to this office before soliciting Working Permission. | Yes, this will be done as per rule and Supervision & Inspection of DFO Kaimur |
| (8) Violation of any of these conditions will amount to violation of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and action would be taken as prescribed in Comprehensive Guidelines issued under Van (Sanrakshan Evam Samvardhan Adhiniyam, 1980 and rules framed thereunder). | Ok. |
| (9) The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/). | yes |
| **B: Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage-II approval:** | |
| (1) Legal status of the forest land shall remain unchanged. | Declaration for Undertaking (Attached) |
| (2) Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 2.6 ha Jangal Jhari land (Site-Plot No.643, 462; Thana no.366, Mauza-Tori, Bhagwanpur Block, Bhabhua range, Kaimur Forest Division, Bhabhua) at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local native species shall be planted and monoculture of any species, especially non-native species should be avoided. | |
| (3) Additional amount of th NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert committee, shall also be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish and undertaking to this effect. | |
| (4) Modern technology will be used in tree-translocation which shall be preferred way of removing tree falling in the project area so that only trees are felled that are unavoidable and the barest minimum. | |

| | |
|---|---|
| (5) User Agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department after the order by the concerned DFO to the effect and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department. Further, in view of the large number of trees affected for the project, such number of trees whose removal is unavoidable, and whose translocation (species, number and girth to be decided by SFD) is practicable, will be translocated to the extent possible at the cost of user agency. | |
| (6) The height of the ropeways shall be maintained with minimum clearance of 5 meters from the highest treeline. | |
| (7) The boundary of the forest land proposed for diversion, shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, DGPS coordinates, forward and back bearing and distance from adjoining pillars etc. | Declaration for Undertaking (Attached) |
| (8) Wherever possible and technically feasible, the User Agency shall undertake afforestation measures along the roads segment covered under this approval, in consultation with the State Forest Department at the project cost. | |
| (9) The User Agency shall ensure that the labourers and staff engaged in construction activities do not damage the nearby forest flora and fauna. | |
| (10) The User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas. | |
| (11) Earth or any other material shall not be brought from and debris resulting during construction shall not be disposed of in the adjoining forest area by the user agency. | |
| (12) The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of the Ministry of Environment, Forest & Climate Change. | |

| | |
|---|---|
| (13) The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal. | Declaration for Undertaking (Attached) |
| (14) The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of the project life/requirement. | |
| (15) The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department, or person without prior approval of the Ministry of Environment, Forest & Climate Change. | |
| (16) The diverted forest area shall be accessible to forest department for monitoring and inspection purpose throughout the project life. | |
| (17) Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife. | |

18/8/25

Senior Project Engineer
B.R.P.N.N.Ltd
Works Division, Ara

सेवा में

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
सह नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण)
तृतीय तल, अरण्य भवन
शहीद पीर अली खॉ मार्ग, पटना।–14

**विषयः– कैमूर जिलान्तर्गत मॉ मुण्डेश्वरी पर्वत पर आकाशीय रज्जू पथ निर्माण हेतु वन भूमि कुल रकवा 6.46 एकड़ का अपयोजन स्वीकृति Stage-II (अंतिम स्वीकृति) प्रदान करने के संबंध में।**

प्रसंगः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय रॉची का पत्रांक–FB/BR/Others/42268/2019/531 दिनांक–30.08.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध मे कहना है कि प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) द्वारा भारत सरकार ने विषयाधीन परियोजना के निर्माण हेतु 1.3094 हेक्टेयर (6.46 एकड़) वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति (Stage-I) प्रदान की गई है। प्रदत्त सैद्धांतिक स्वीकृति पत्र के भाग–A शर्त्त संख्या–1 के क्रम में भवदीय के कार्यालय पत्रांक–657 दिनांक–10.09.2024 द्वारा CA एवं NPV में कुल राशि रू०–1,07,65,500.00 CAMPA Bihar Account में जमा करने का अनुरोध किया गया। उक्त के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरीके कार्यालय द्वारा कुल राशि रू०–1,07,65,500.00 BIHAR CAMPA IFSC Code – UBIN0996335, A/c No-150627300, Bank Name- Union Bank of India, FCS Centre, Bangalore, 21 Mission 3rd Floor, Jellitta Tower, Bangalore -560027 में जमा करा दिया गया है जिसका UTR NO-BKIDA25049550375 एवं इसकी सूचना इस कार्यालय के पत्रांक–853(अनु०) दिनांक–03.10.2024 द्वारा दी जा चुकी है (छाया प्रति संलग्न)।

पुनः भाग A के शर्त (2) के अनुपालन में उक्त भूमि का mutation प्र्यावरण एवं वन विभाग, भगवानपुर, कैमूर को किया जा चुका है, जिसे जमाबंदी भाग संख्या–17 एवं पृष्ट संख्या–93 पर संधारित की गई। स्वीकृत पत्र के भाग A के शेष शर्ते 3 से 9 का अनुपालन किया गया है एवं भाग 'B' के शर्ते 1 से 17 का अनुपालन हेतु undertaking इस पत्र के साथ संलग्न किया जाता है।

अतः अनुरोध है कि विषयांकित परियोजना का कार्य प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति पत्र प्रदान करने की कृपा की जाये।

अनु0:–यथोक्त।

विश्वासभाजन
16/5/25
वरीय परियोजना अभियंता
बि.रा.पु.नि.नि.लि.
कार्य प्रमंडल, आरा।

27/5/25

ज्ञापांक– 524 (अनु०) दिनांक–16.05.2025

प्रतिलिपि :– प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट लिमिटेड, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित। भवदीय से अनुरोध है कि अनापत्ति पत्र हेतु अपने स्तर से अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0:–यथोक्त।

16/5/25
वरीय परियोजना अभियंता
बि.रा.पु.नि.नि.लि.
कार्य प्रमंडल, आरा।

Sr. Project Engineer Ara <spe-ara@brpnn.co.in>

# Letter No-524

1 message

**Sr. Project Engineer Ara** <spe-ara@brpnn.co.in>
To: contactbstdc@gmail.com

Sat, May 17, 2025 at 4:06 PM

Dear Sir

Please find the attached letter enclosed herewith

***Thanks & Regards***
**Senior Project Engineer**
**B.R.P.N.N.Ltd**
**Works Division, Ara**

**Letter No-524.pdf**
2128K

# बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड

(बिहार सरकार का एक प्रतिष्ठान)

## वरीय परियोजना अभियंता का कार्यालय

कार्य प्रमण्डल, आरा।

ISO:9001:2015
Reg.no.:RQ91/10828

website-http://www.brpnn.bih.nic.in Email Id-spe-ara@brpnn.co.in,

Doc.No:-BRPNN/ARA/......../ 524 (अनु०) Dt- 16.5.2025 Page....../.......

सेवा में

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
सह नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण)
तृतीय तल, अरण्य भवन
शहीद पीर अली खॉ मार्ग, पटना।–14

**विषयः– कैमूर जिलान्तर्गत मॉ मुण्डेश्वरी पर्वत पर आकाशीय रज्जू पथ निर्माण हेतु वन भूमि कुल रकवा 6.46 एकड़ का अपयोजन स्वीकृति** Stage-II **(अंतिम स्वीकृति) प्रदान करने के संबंध में।**

प्रसंगः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय रॉची का पत्रांक–FB/BR/Others/42268/2019/531 दिनांक–30.08.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध मे कहना है कि प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) द्वारा भारत सरकार ने विषयाधीन परियोजना के निर्माण हेतु 1.3094 हेक्टेयर (6.46 एकड़) वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति (Stage-I) प्रदान की गई है। प्रदत्त सैद्धांतिक स्वीकृति पत्र के भाग–A शर्त्त संख्या–1 के क्रम में भवदीय के कार्यालय पत्रांक–657 दिनांक–10.09.2024 द्वारा CA एवं NPV में कुल राशि रू॰–1,07,65,500.00 CAMPA Bihar Account में जमा करने का अनुरोध किया गया। उक्त के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरीके कार्यालय द्वारा कुल राशि रू॰–1,07,65,500.00 BIHAR CAMPA IFSC Code – UBIN0996335, A/c No-150627300, Bank Name- Union Bank of India, FCS Centre, Bangalore, 21 Mission 3rd Floor, Jellitta Tower, Bangalore -560027 में जमा करा दिया गया है जिसका UTR NO-BKIDA25049550375 एवं इसकी सूचना इस कार्यालय के पत्रांक–853(अनु॰) दिनांक–03.10.2024 द्वारा दी जा चुकी है (छाया प्रति संलग्न)।

पुनः भाग A के शर्त (2) के अनुपालन में उक्त भूमि का mutation र्प्यावरण एवं वन विभाग, भगवानपुर, कैमूर को किया जा चुका है, जिसे जमाबंदी भाग संख्या–17 एवं पृष्ट संख्या–93 पर संधारित की गई। स्वीकृत पत्र के भाग A के शेष शर्ते 3 से 9 का अनुपालन किया गया है एवं भाग 'B' के शर्ते 1 से 17 का अनुपालन हेतु undertaking इस पत्र के साथ संलग्न किया जाता है।

अतः अनुरोध है कि विषयांकित परियोजना का कार्य प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति पत्र प्रदान करने की कृपा की जाये।

अनु0:–यथोक्त।

विश्वासभाजन
(हस्ताक्षर) 16/5/25
वरीय परियोजना अभियंता
बि.रा.पु.नि.नि.लि.
कार्य प्रमंडल, आरा।

ज्ञापांक– 524 (अनु०) दिनांक–16.05.2025

प्रतिलिपि :– प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट लिमिटेड, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित। भवदीय से अनुरोध है कि अनापत्ति पत्र हेतु अपने स्तर से अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0:–यथोक्त।

(हस्ताक्षर) 16/5/25
वरीय परियोजना अभियंता
बि.रा.पु.नि.नि.लि.
कार्य प्रमंडल, आरा।

बिहार सरकार

16/05/20

**बिहार सरकार**
**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग**

## जमाबंदी पंजी प्रति

ाग वर्तमान : 17 | पृष्ठ संख्या : 93 | जमाबन्दी संख्या : | कंप्यूटरीकृत जमाबन्दी संख्या : 200145500045463

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ला का नाम : | Kaimur | अनुमंडल नाम : | Bhabua | अंचल का नाम : | Bhagwanpur | हलका का नाम : | टोडी |
| जा का नाम : | टोडी | होल्डिंग संख्या : | 643Ch/462S | तौजी संख्या : | | थाना नंबर : | 366 |

nvironment & Forest Department , अन्य-, जाति-
ामान्य

| खाता सं० | प्लाट/खेसरा सं० | रकबा | चौहद्दी | परिवर्तन के लिए प्राधिकार | लगान | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43Ch/462S | 590Ch/473S | 6 ए 46 डि 0 हे | पू०: Bihar Sarkar प०: Bihar Sarkar उ०: Van Vibhagh द०: Khata No-477 | नामान्तरण मुकदमा संख्या G-1/2024 - 2025 | 6.46 | 0 |
| | कुल परिमान | 6 ए 46 डि 0 हे | | | | |

**ेम लगान का विवरण**

| तारीख | प्राप्ति पत्र सं० | साल से | साल तक | लागत बकाया |
|---|---|---|---|---|

**रोक्त जमाबंदी के विरुद्ध दाखिल ख़ारिज का विवरण** Mutation Cases Not Found

क कम्पयुटर जनित प्रति है
 भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करे


खंडन

व एवं भूमि सुधार विभाग/ एन आई सी/ और/या सी-डैक किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वित्तीय हानि, कानूनी समस्या, अनुवाद प्रक्रिया में देरी के कारण अप्रचलन और/या इस पोर्टल पर प्रकाशित भाषा की सामग्री में गई किसी भी प्रकार की कमी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

Disclaimer

epartment of Revenue and Land Reforms/NIC and/or C-DAC shall not be responsible for any direct or indirect financial loss, legal issues, obsolescence owing to delay in the translati process and/or any kind of inadequacies observed in the language content published on this portal.

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि.
15, दिनांक–
[illegible] 27 JAN 2025
7, सरदार पटेल मार्ग, पटना-15

# बिहार सरकार
## राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञाप सं0–06 / खा0म0 कैमूर–23 / 2022– (6) / रा0, पटना–15, दिनांक–

सेवा में,

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

महालेखाकार, बिहार (लेखा एवं हकदारी),
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा :– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :– मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–10.01.2025 के मद संख्या–10 में दी गई स्वीकृति के आलोक में कैमूर जिलान्तर्गत अंचल–भगवानपुर के पौरा पहाड़ी पर अवस्थित माँ मुण्डेश्वरी धाम में बन रहे आकाशीय रज्जु पथ निर्माण के क्रम में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को अपयोजित की जाने वाली भूमि अंचल–भगवानपुर के मौजा–टोड़ी, थाना नं0–366, खाता सं0–643 चक / 462 (सर्वे), खेसरा सं0–590 चक / 473 (सर्वे) कुल–6.46 एकड़ अनावाद बिहार सरकार किस्म–जंगल झाड़ी भूमि (भूमि विवरणी संलग्न, परिशिष्ट–I) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण की स्वीकृति।

आदेश : स्वीकृत।

2. स्वीकृति इस शर्त्त के साथ दी जाती है कि जिस प्रयोजन हेतु भूमि दी जा रही है, उसमें उसकी उपयोगिता नहीं रहने पर भूमि स्वतः राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को लौट जाएगी।

3. अन्य शर्त्तें खास महाल मैनुअल के प्रावधानों एवं समय–समय पर निर्गत राजस्व विभागीय परिपत्रों से आच्छादित होंगे।

4. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त है।

5. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0 / –
(आजीव वत्सराज)
सहायक निदेशक,
भू–अर्जन–सह–संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–06 / खा0म0 कैमूर–23 / 2022– (6) / रा0, पटना–15, दिनांक–...............

निबंधित

प्रतिलिपिः–समाहर्त्ता, कैमूर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। मूल अभिलेख संख्या–01 / 2021–22 संलग्न कर लौटाई जाती है।

अनु0–यथोक्त।
(मूल अभिलेख संख्या–01 / 2021–22)

ह0 / –
(आजीव वत्सराज)
सहायक निदेशक,
भू–अर्जन–सह–संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–06 / खा0म0 कैमूर–23 / 2022– (6) / रा0, पटना–15, दिनांक–...............

प्रतिलिपिः–आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(आजीव वत्सराज)
सहायक निदेशक,
भू–अर्जन–सह–संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–06 / खा०म० कैमूर–23 / 2022– (6) / रा०, पटना–15, दिनांक–...............

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –
(आजीव वत्सराज)
सहायक निदेशक,
भू–अर्जन–सह–संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–06 / खा०म० कैमूर–23 / 2022– (6) / रा०, पटना–15, दिनांक–...............

प्रतिलिपिः–सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –
(आजीव वत्सराज)
सहायक निदेशक,
भू–अर्जन–सह–संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–06 / खा०म० कैमूर–23 / 2022– (6) / रा०, पटना–15, दिनांक–...............

प्रतिलिपिः–अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –
(आजीव वत्सराज)
सहायक निदेशक,
भू–अर्जन–सह–संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–06 / खा०म० कैमूर–23 / 2022– (6) / रा०, पटना–15, दिनांक–...............

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग, प्रशाखा–8, बिहार, पटना / गार्ड फाईल, प्रशाखा–06 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –
(आजीव वत्सराज)
सहायक निदेशक,
भू–अर्जन–सह–संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–06 / खा०म० कैमूर–23 / 2022– 81– (6) / रा०, पटना–15, दिनांक–15/1/25

प्रतिलिपि–आई० टी० मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को वेब–साइट पर इसे प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(आजीव वत्सराज)
सहायक निदेशक,
भू–अर्जन–सह–संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक 249 / पटना दिनांक 29/01/2025

प्रतिलिपि –मुख्य परियोजना अभियंता, कार्य प्रमंडल आरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

29.01.2025

तकनीकी सलाहकार
कार्य अंचल-1, पटना



F:\Com -1\2024\Rajyadesh\Office.docx

## भूमि विवरणी–परिशिष्ट–I

| मौजा | खाता | खेसरा | रकबा (एकड़ में) | किस्म | रैयत का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| टोड़ी / 366 | 643 चक / 462 आर0एस0 | 590 चक / 473 आर0 एस0 | 6.46 | जंगल झाड़ी | अनावाद बिहार सरकार |
| कुल रकबा :– | | | 6.46 एकड़ | | |

(आजीव वत्सराज)
सहायक निदेशक,
भू–अर्जन–सह–संयुक्त सचिव।

## Declaration to undertake compliance of conditions 1 to 17 Part-B of stage-I Approval

I, Khurshid Karim, Senior Project Engineer, Bihar Rajya Pul Nirman Nigam Ltd., Works Division, Ara, hereby declare that I will undertake the compliance of conditions 1 to 17 Part-B stipulated in stage-I approval.

16/5/25

Senior Project Engineer
B.R.P.N.N.Ltd
Works Division, Ara

# बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड

(बिहार सरकार का एक प्रतिष्ठान)

## वरीय परियोजना अभियंता का कार्यालय

**कार्य प्रमण्डल, आरा।**

ISO:9001:2015
Reg.no.:RQ91/10828

वेबसाईट: http://www.brpnn.bih.nic.in ईमेल:- spe-ara@brpnn.co.in,

Doc.No:-BRPNN/ARA/......../ 853 (अनु0) Dt- 03.10.24 Page....../.......

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण)
तृतीय तल, अरण्य भवन
शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–14

**विषयः– कैमूर जिलान्तर्गत मुण्डेश्वरी पर्वत पर आकाशीय रज्जू पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत 1.3094 वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर प्रदत्त सद्धान्तिक स्वीकृति के उपरान्त CA एवं NPV मद की कुल राशि रू0–1,07,65,500/– जमा करने के संबंध में।**

प्रसंगः– भवदीय पत्रांक–व0स0/71/2019–657 दिनांक–10.09.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कार्य हेतु भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय का पत्रांक–FP/BR/others/42268/2019/531 दिनांक–30.08.2024 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदत्त किये जाने के उपरांत प्रासंगिक पत्र द्वारा Compensatory Afforestation (CA) एवं Net Present Value (NPV) मद की कुल राशि रू0–1,07,65,500.00 CAMPA Bihar Account में जमा करते हुए अनुरोध किया गया है।

उक्त के आलोक में इस कार्यालय द्वारा BIHAR CAMPA IFSC Code - UBIN0996335, A/c No-1506219942268446, Bank Name- Union Bank of India FCS Centre, 21/1 III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027 में कुल राशि रू0–1,07,65,500.00 (रूपये एक करोड़ सात लाख पैंसठ हजार पाँच सौ) मात्र दिनांक–01.10.2024 को RTGS के माध्यम से जमा कर दिया गया है। जिसका UTR NO-NRTGS/PUNBR52024100113173658/Bihar CAMPA दिनांक–01.10.2024 है सुलभ प्रसंग हेतु प्रति संलग्न।

अतः अनुरोध है कि अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0ः–यथोक्त।

विश्वासभाजन
03/10/24
वरीय परियोजना अभियंता
बि.रा.पु.नि.नि.लि.
कार्य प्रमंडल, आरा।

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01-10-2024 | 01-10-2024 | XXXXXX | NRTGS/PUNBR52024100113173658/BIHAR CAMPA | INR | 1,07,0[illegible],000.00 |

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 24-09-2024

| | |
|---|---|
| Agency Name. | BIHAR RAJYA PUL NIRMAN NIGAM LTD WORKS DIVISION ARA |
| Application No. | 19942268446 |
| MoEF/SG File No. | FP/BR/OTHERS/42268/2019 |
| Location. | BIHAR |
| Address. | 1942, Kranti Marg, Opposite Telephone Bhawan 'R' Block PatnaBhojpur |
| Amount(in Rs) | 10765500/- |

**Amount in Words** :One Crore Seven Lakh Sixty-Five Thousand Five Hundred Rupees Only

**NEFT/RTGS to be made as per following details;**

| | |
|---|---|
| Beneficiary Name: | BIHAR CAMPA |
| IFSC Code: | UBIN0996335 |
| Pay to Account No. | 1506219942268446<br>Valid only for this challan amount. |
| Bank Name & Address: | Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027 |

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 24-09-2024

| | |
|---|---|
| Agency Name. | BIHAR RAJYA PUL NIRMAN NIGAM LTD WORKS DIVISION ARA |
| Application No. | 19942268446 |
| MoEF/SG File No. | FP/BR/OTHERS/42268/2019 |
| Location. | BIHAR |
| Address: | 1942, Kranti Marg, Opposite Telephone Bhawan 'R' Block Patna Bhojpur |
| Amount(in Rs) | 10765500/- |

**Amount in Words** :One Crore Seven Lakh Sixty-Five Thousand Five Hundred Rupees Only

**NEFT/RTGS to be made as per following details;**

| | |
|---|---|
| Beneficiary Name: | BIHAR CAMPA |
| IFSC Code: | UBIN0996335 |
| Pay to Account No. | 1506219942268446<br>Valid only for this challan amount. |
| Bank Name & Address: | Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027 |

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

**Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank**

Print